

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
(MINISTRY OF FINANCE)
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION
No. 35/2010- INCOME TAX


New Delhi, the 19th May, 2010.

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Central Board of Direct Taxes, number S.O. 732(E), dated 31st July, 2001, namely:-

In the said notification, in Schedule I, in column (4), for the entries against serial number 82, the following entries shall be substituted, namely:-

"In the state of Kerala, Districts of Kozhikode, Malappuram, Waynad, Kannur, Kasargod and areas of Mahe of Union Territory of Pondicherry."

(F.No.189/6/2009-ITA.I)



(Padam Singh)
Under Secretary(ITA.I)

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide*, number S.O.732(E), dated the 31st July, 2001 and lastly amended, *vide*, number S.O. 715(E), dated 31st March, 2010.

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii)में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, १९ मई, २०१०
अधिसूचना
सं. /2010-आयकर

का.आ. (अ)-आयकर अधिनियम, १९६१(१९६१ का ४३) की धारा १२० की उपधारा (१) एवं (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. ७३२(अ), दिनांक ३१ जुलाई, २००१ में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में, कालम(४) में, क्रम संख्या ८२ के सामने प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"केरल राज्य में, कोझीकोड़, मालाप्पुरम, वायनाड, कन्नूर, कासारगोड जिले तथा संघ राज्य क्षेत्र पाडिचेरी का माहे क्षेत्र।"

(फा.सं. १८९/६/२००९-आईटीए-I)

पदम सिंह
(पदम सिंह)
अवर सचिव(आईटीए-I)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या का.आ. ७३२(अ), दिनांक ३१ जुलाई, २००१ के तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड(ii) में प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. ७१५(अ), दिनांक ३१ मार्च, २०१० के तहत संशोधित की गई।

पदम सिंह
(पदम सिंह)
अवर सचिव(आईटीए-I)

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
सिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी-गार्डन के पास), नई दिल्ली ।